बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि–पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं0–385(1), दिनांक–29.03.2017 की कंडिका–5 एवं 6 को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है–

"5– राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051–निर्माण–0301–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, विपत्र कोड–P4210030510301 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

6– केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051–निर्माण–0201–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, विपत्र कोड–P4210030510201 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।"

(ii) विभागीय राज्यादेश सं0–385(1), दिनांक–29.03.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(iii) विभागीय राज्यादेश सं0–385(1), दिनांक–29.03.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

ह0/– 30/10/17
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2017–1349(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 10 / 2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/– 30/10/17
सरकार के विशेष सचिव

संoसंo–1 / विविध–10 / 2017– 585 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(150)

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 29 / 3 /2017

विषयः– **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 3,46,28,00,000/–(रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 21,00,00,000/–(रुपये एक्कीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 3,46,28,00,000/–(रुपये तीन अरब छियालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 21,00,00,000/–(रुपये एक्कीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगेः–

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ड़) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

3– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880 / वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938 / वि0(2), दिनांक–08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

(149)

5– केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051– निर्माण–0301–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रांश), विपत्र कोड– P4210030510301 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2016–17 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

6– राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051– निर्माण–0201–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (राज्यांश), विपत्र कोड– P4210030510201 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

7– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का त्रैमासिक लेखा सभी वॉउचर्स (Vouchers) सहित महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक–28.03.2017 की बैठक में मद संख्या–40 पर प्राप्त है।

10– प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति सं0सं0–1/विविध–10/2017 के पृष्ठ–14/टि0 पर प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 29/3/17

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2017– 385(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 29/3/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिलाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/उप सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/3/17

सरकार के विशेष सचिव